Karnataka Bank Ltd.

Your Family Bank. Across India.

परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा
भूखंड सं. 8–बी, प्रथम तल, राजेंद्र पार्क,
पूसा रोड,
नई दिल्ली–110 060

दूरभाष : 011–40591567, (एक्स. 240),
ई–मेल : delhiarm@kbank.com
वेबसाइट : www.karnatakabank.com
सीआईएन : एल85110केए1924पीएलसी001128

अचल संपत्ति की विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका सांकेतिक अधिग्रहण कर्नाटका बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा 13–02–2019 एवं 14–02–2019 को कर लिया गया है, उसका विक्रय 22–08–2024 को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर किया जाएगा, निम्न की वसूली हेतु : पीएस ओवरड्राफ्ट एएलसी संख्या 4537000600003001 के अंतर्गत 01.11.2020 से भावी ब्याज सहित, लागत सहित रु. 16,11,90,774.14 (रुपये सोलह करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार सात सौ चौवहत्तर और चौदह पैसे मात्र) की कर्नाटक बैंक लिमिटेड, लखनऊ शाखा, प्लॉट संख्या 118, बर्लिंगटन स्क्वायर, स्टेशन रोड, विधानसभा मार्ग, लखनऊ–226001, उत्तर प्रदेश, प्रतिभूत ऋणदाता को (1) मैसर्स क्लेरियन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, निदेशकों द्वारा प्रतिनिधित्व (i) श्री पीयूष रस्तोगी (ii) श्री दीपक रस्तोगी, 27/18, राजा राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ–226001 (2) श्री पीयूष रस्तोगी पुत्र श्री लक्ष्मी चंद्र रस्तोगी (3) श्री दीपक रस्तोगी पुत्र श्री नरेंद्र कुमार रस्तोगी, दोनों नंबर 2 और 3 का पता : 14/1, जोप्लिन रोड, लखनऊ–226001 (4) श्री परेश रस्तोगी पुत्र श्री लक्ष्मी चंद्र रस्तोगी (5) श्रीमती नीति रस्तोगी पत्नी श्री परेश रस्तोगी, दोनों नंबर 4 और 5 का पता : 803, रोहतास कोर्ट, लखनऊ–226001 (6) श्रीमती सोनाली रस्तोगी पत्नी श्री पीयूष रस्तोगी (7) श्रीमती सोनिया रस्तोगी पत्नी श्री दीपक रस्तोगी दोनों नंबर 6 और 7 का पता : 14/1, जोप्लिन रोड, लखनऊ–226001 (8) मैसर्स रोहतास प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, का प्रतिनिधित्व निदेशक श्री परेश रस्तोगी करते हैं, जिनका पता है: नंबर 27/18, राजा राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ–226001, जो उधारकर्ताओं / गारंटरों / सह–दायित्वधारकों के रूप में हैं, की ओर से देय भुग्तेय है।

अचल संपत्ति का विवरण :

संपत्ति संख्या 1: यूनिट संख्या एलजीएफ–के–3 में स्थित वाणिज्यिक संपत्ति का वह पूरा हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 7.44 वर्ग मीटर है, निचले तल पर, भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सा 4.43 वर्ग मीटर है, जो 27/18, 2, फैजाबाद रोड, लखनऊ में लैंडमार्क आर्केड, लखनऊ में स्थित तथा श्रीमती सोनिया रस्तोगी से संबंधित है। (14.02.2019 को सांकेतिक अधिग्रहण किया गया)
सीमाएं: पूर्व: दुकान नं. 15, पश्चिम: दुकान नं. के2, उत्तर: गलियारा, दक्षिण: पार्किंग
आरक्षित मूल्य / अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकती : रु. 3,96,000.00 (रुपये तीन लाख छियानबे हजार मात्र)
जमा / निविदा की जाने वाली बयाना राशि : रु. 39,600.00 (रुपये उनतालिस हजार छह सौ मात्र)

संपत्ति संख्या 2 : यूनिट नं. एफएफ–12 ए में स्थित वाणिज्यिक संपत्ति का वह समस्त भाग, जिसकी माप 30.76 वर्ग मीटर है, केवल निचले तल पर, भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सेदारी सहित, जिसका माप 18.71 वर्ग मीटर है, जो 27/18, 2, फैजाबाद रोड, लखनऊ में लैंडमार्क आर्केड में स्थित तथा श्रीमती नीति रस्तोगी से संबंधित है। (13.02.2019 को सांकेतिक अधिग्रहण किया गया)
सीमाएं: पूर्व: कॉरिडोर, पश्चिम: लिफ्ट और आसमान की ओर खुला, उत्तर: दुकान नंबर 12, दक्षिण: कॉरिडोर आरक्षित मूल्य / अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकती : रु. 19,00,000.00 (रुपये उन्नीस लाख मात्र)
जमा / निविदा की जाने वाली बयाना राशि : रु. 1,90,000.00 (रुपये एक लाख नब्बे हजार मात्र)

संपत्ति संख्या 3 : यूनिट संख्या एफएफ–17 में स्थित व्यावसायिक संपत्ति का वह पूरा हिस्सा, जिसकी माप केवल निचले तल पर 24.35 वर्ग मीटर है, साथ ही 27/18, 2, फैजाबाद रोड, लखनऊ में लैंडमार्क आर्केड में स्थित 14.81 वर्ग मीटर भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सा जो कि श्रीमती सोनिया रस्तोगी से संबंधित है। (13.02.2019 को सांकेतिक अधिग्रहण किया गया)
सीमाएं: पूर्व: दुकान संख्या 18, पश्चिम: दुकान संख्या 16, उत्तर: गलियारा, दक्षिण: आसमान की ओर खुला आरक्षित मूल्य / अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति बेची नहीं जा सकती : रु. 16,38,000.00 (रुपये सोलह लाख अड़तीस हजार मात्र)
जमा / निविदा की जाने वाली बयाना राशि : रु. 1,63,800.00 (रुपये एक लाख तिरेसठ हजार आठ सौ मात्र)

संपत्ति संख्या 4 : यूनिट संख्या यूजीएफ–02 में स्थित व्यावसायिक संपत्ति का वह समस्त भाग, जिसकी माप 28.43 वर्ग मीटर केवल निचले तल पर है, साथ ही भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सा 17.29 वर्ग मीटर है, जो 27/18, 2, फैजाबाद रोड, लखनऊ में स्थित और श्रीमती सोनाली रस्तोगी से संबंधित है (14.02.2019 को सांकेतिक अधिग्रहण किया गया)
सीमाएं: पूर्व: दुकान नंबर 1, पश्चिम: दुकान नंबर 3, उत्तर: आसमान की ओर खुला, दक्षिण: गलियारा आरक्षित मूल्य / अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति बेची नहीं जा सकती : रु. 19,27,000.00 (रुपये उन्नीस लाख सत्ताईस हजार मात्र)
जमा / निविदा की जाने वाली बयाना राशि : रु. 1,92,700.00 (रुपये एक लाख बयानबे हजार सात सौ मात्र)।

(उधारकर्ता / बंधककर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्ति के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है)।
(यह सूचना उधारकर्ता/गारंटरों के लिए प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम (9) के उप–नियम (1) के अंतर्गत निर्गत सूचना के रूप में भी प्रेषित / प्राप्त हुयी समझी जाय)।
विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया कर्नाटका बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.karnatakabank.com के "22.08.2024 को मेगा ई–नीलामी" शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।
ई–नीलामी का संचालन पोर्टल https://bankauctions.in/ के माध्यम से 22–08–2024 को पूर्वा. 11.30 बजे से लेकर के अपराहन 12.30 बजे तक किया जाएगा, जो 05 मिनटों के असीमित विस्तार के साथ होगा। इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे https://bankauctions.in/ पर अपना नाम पंजीकृत कर लें और निःशुल्क रूप से प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर लें तथा मैसर्स 4क्लोजर, 605ए, 6ठवां तल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद–500038, संपर्क फोन नं. 040.23836405, मोबाइल नं. 8142000809, ईमेल : info@bankauctions.in से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण (अनंतिम रूप में 21–08–2024 को) प्राप्त कर लें।

दिनांक : 01–08–2024 **कृते कर्नाटका बैंक लिमिटेड**
स्थान : लखनऊ **मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

अंचल कार्यालय, लखनऊ अंचल
"बड़ौदा हाऊस", बी–23, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

निविदा सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, लखनऊ प्रतिष्ठित फर्म/प्रोपराइटर/कंपनी से बैंक के आर्किटेक्ट, कांट्रेक्टर के पैनल में सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है । उक्त बिडर की लखनऊ अंचल के सेवाक्षेत्र में अच्छी उपस्थिति होनी चाहिये. अधिक जानकारी हेतु बैंक की वेब साइट www.bankofbaroda.co.in के टेंडर सेक्शन पर जाएँ . प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख 12/08/2024 सायं 3 बजे तक है. किसी भी प्रकार का कोरिजेंडम बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा । सभी बिडर से अनुरोध है कि बैंक की वेबसाइट नियमित रूप से विजिट करें

स्थान – लखनऊ
दिनांक – 02/08/2024 महाप्रबंधक

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA

रजि. कार्यालय: 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर पारेल, मुंबई–400013 सीआईएन नंबर U67190MH2008PLC187552

अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, टाटा कैपिटल हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णितानुसार मांग सूचनाएं जारी की थी, जिसमें कर्जदारों से सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने असफल रहे हैं, एतदद्वारा कर्जदार को विशेष रूप से तथा जन साधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के सबंध में कोई भी सव्यवहार टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड की नीचे वर्णित राशि तथा उस पर नीचे वर्णित तिथि से ब्याज तथा दंड–ब्याज, प्रभार, लागते इत्यादि चुकाने के बाद ही किया जा सकता है।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता संख्या	दायित्वधारी(ओं) /कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) /कानूनी प्रतिनिधि (ओं) का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि और तारीख	कब्जा तिथि
9424771	श्री विक्रम सिंह रावत (उधारकर्ता के रूप में) और श्रीमती अंजु रावत (सह–उधारकर्ता)	रु. 11,53,262/– (रुपये ग्यारह लाख तिरपन हजार दो सौ बयासी मात्र) बकाया 23/08/2023 तक	29.07.2024

सुरक्षित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण:– आवासीय फ्लैट संख्या 33, तीसरी मंजिल, एलआईजी, ब्लॉक डी 03, पॉकेट 04, सेक्टर 34, रोहिणी, दिल्ली–110085 में स्थित, का संपूर्ण हिस्सा।

दिनांक:– 02/08/2024 हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी
स्थान:– दिल्ली/एनसीआर टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057
दूरभाष : 011 49267000, टोल फ्री नंबर : 1800 212 8800, ई–मेल : customer.care@herohfl.com
वेबसाइट : www.herohousingfinance.com, सीआईएन : U65192DL2016PLC30148
संपर्क पता : बिल्डिंग नं. 27, द्वितीय तल, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत।

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एचएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत और नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत पहले ही विस्तृत मांग सूचनाएं दिनांकित निम्नानुसार निर्गत की थीं, जिनमें ऋणकर्ता(ओं)/सह–ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) (सभी एकल रूप में अथवा संयुक्त रूप में एक साथ "दायित्वधारकों" के रूप में संदर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों), यहां नीचे सूचीबद्ध, को संबंधित मांग सूचना/ओं में अंकित राशियों का, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, भुगतान करने को कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई हैं और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, और उक्त दायित्वधारक(गण)/विधिक उत्तराधिकारी(गण)/विधिक प्रतिनिधि(गण), यदि वे इच्छुक हैं, संबंधित प्रति को अधोहस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त दायित्वधारक(रियों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे एचएचएफएल को, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उनके संबंधित नामों के समक्ष यहां इसमें निम्न उल्लिखित राशियों का, उक्त दायित्वधारक(रियों) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध तथा अन्य प्रलेखों/आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित, स्तंभ (घ) में निम्नांकित संबंधित तिथियों से लेकर के भुगतान तथा/अथवा वसूली होने की तिथि तक आकलित निम्न विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ, भुगतान कर दें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त दायित्वधारक(रियों) द्वारा निम्नलिखित प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को एचएचएफएल के पास क्रमशः बंधक रखा गया है :

ऋण खाता सं.	दायित्वधारी(रियों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) /विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	निम्न तिथि* के अनुसार कुल बकाया देयराशि (रु.)	
HHFLUCHOU 20000011716	हिमांशु माल, अंजिता मल	रु. 12,07,807/– 22–07–2024 के अनुसार	26-07-2024 05-07-2024

प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण : प्लॉट नंबर 84, खसरा नंबर 153 मिंज. के भाग पर बना मकान, जिसका क्षेत्रफल 30.669 वर्ग मीटर यानी 330 वर्ग फीट है, कुल निर्मित क्षेत्रफल 37.174 वर्ग मीटर यानी 400 वर्ग फीट है, जो गांव– रहीम नगर दुदोली, वार्ड– फैजुल्लागंज, तहसील और जिला– लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नीचे दिए अनुसार सीमाबद्ध:– पूर्व: गुफरान का घर, उत्तर: इरियन का प्लॉट, पश्चिम: 16 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: गुलाब गुप्ता का घर।

HHFJAPHOU2 2000023471	अजाज फातिमा, मोहम्मद अनवर, अजहर मिर्जा	रु. 30,48,100/– 22–07–2024 के अनुसार	26-07-2024 05-07-2024

प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण : मकान संख्या 359/177 का हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 1378 वर्ग फीट यानी 128.066 वर्ग मीटर है, मोहल्ला कटरा खुदा यार खां (सादातगंज), वार्ड शीतला देवी, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमा: उत्तर: अन्य मकान/भूमि स्थान, पूर्व: सड़क 8 फीट और मनीष वर्मा का मकान, दक्षिण: प्रवीण वर्मा का मकान, पश्चिम: अन्य मकान।

*ऊपर अंकित संबंधित मांग सूचना उपरांकित दिनांक में अधिक विशिष्ट रूप में उल्लेखितानुसार दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागतें, शुल्क इत्यादि जो भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक उपगत हैं। यदि उक्त दायित्वधारक(गण) उपर्युक्तानुसार एचएचएफएल को भुगतान करने में विफल होंगे, तो एचएचएफएल उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) के विरुद्ध, लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त दायित्वधारक(रियों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के संपूर्ण जोखिम पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) और यथा लागू नियमावली के अधीन कार्रवाई करेगी।
उक्त दायित्वधारक(रियों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे एचएचएफएल की पूर्व लिखित अनुमति–सहमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों)/अचल संपत्ति का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उकसाता है उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा/अथवा अर्थदंड दिया जायेगा।

दिनांक : 02–08–2024 स्थान : लखनऊ हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

MONEYBOXX

मनीबौक्स फाईनेन्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 523-ए, सोमदत्त चैम्बर-II, 9, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066
कारपोरेट कार्यालय: वाटिका बिजनेस सेन्टर, प्रथम इण्डिया प्लेस, द्वितीय मंजिल, सुशांत लोक-1, एमजी रोड, गुरूग्राम-122001, हरियाणा
CIN: L30007DL1994PLC260191 | Tel: 011-45657452|
info@moneyboxxfinance.com | www.moneyboxxfinance.com |

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना का शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र मनीबौक्स फाईनेन्स लिमिटेड ("कम्पनी") द्वारा कम्पनी के शेयरधारकों की ईजीएम बुलाने के लिए सदस्यों जुलाई 17, 2024 की असाधारण सामान्य बैठक ("ईजीएम") की सूचना जो कि विडियो कान्फ्रैन्सिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विजुवल माध्यम ("ओएवीएम") द्वारा सोमवार, अगस्त 12, 2024 को प्रातः 11:00 बजे (आईएसटी) पर आयोजित होने वाली ईजीएम के क्रम में जारी की जा रही है।

कम्पनी के शेयरधारकों और अन्य सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे यहाँ ईजीएम की सूचना के व्याख्यात्मक कथन w.r.t बिन्दु (बी) के तहत आने वाले संशोधनों पर ध्यान दें।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक कथन

(b) **(ख) इश्यू के उदेश्य:** कम्पनी कुछ इक्वीटी शेयरों और परिवर्तनीय वारंटों का इश्यू और आवंटन कर रही है, जिसकी आय का मुख्य रूप से कम्पनी के बढ़ते व्यवसाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जायेगा, जिसमें विकास योजनाओं आगे बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक पूँजी की आवश्यकताएं एवं कम्पनी की उधार देने की क्षमता और सामान्य कारपोरेट उदेश्य शामिल हैं।

वस्तु–वार निधियों का उपयोग इस प्रकार होगा:

वस्तु	निधि उपयोग (रू० करोड़ में)	निधियों के उपयोग के लिए संभावित समय सीमा
ओनवार्ड ऋण प्रयोजन पर	256.48	निधि की प्राप्ति के 12 महीने के अंदर उपयोग होने के लिए
सामान्य कारपोरेट उद्देश्य	15	
कुल	271.48	

**निर्धारित समय के भीतर इक्वीटी शेयरों 100% सदस्यता और वारंट को इक्वीटी शेयरों में 100% रूपांतरण पर विचार*

बीएसई परिपत्र रंख्या 20221213-47 दिनांक दिसम्बर 13, 2022, के अनुसार उपरोक्त वस्तुओं के लिए निर्दिष्ट राशि भविष्य की व्यवसाय सम्बन्धी परिस्थितियों के आधार पर +/- 10% भिन्न हो सकती है।

इश्यू से प्राप्त आय के लंबित उपयोग के लिए कम्पनी लागू कानेनों के अनुसार ऐसी आय का निवेश करेगी।

यह देखते हुए कि अधिमान्य मुददा परिवर्तनीय वारंट के लिए भी है, वारंट की जारी आय कम्पनी को सेबीआईसीडीआर विनियमनों के अध्याय V के संदर्भ में वारंट के आवंटन की तिथि से महीनों के भीतर प्राप्त होगी और जैसा के अनुमान लगाया गया है, संपूर्ण इश्यू की आय का उपयोग कम्पनी व्यवसायिक आवश्कताओं और इश्यू आय की उपलब्धता के अनुसार, चरणों में, उपरोक्त सभी वस्तुओं के लिए किया जायेगा।

इस शुद्धिपत्र को जुलाई 17, 2024 के ईजीएम सूचना का एक अभिन्न अंग माना जायेगा। यहाँ पर उपर उल्लिखित परिवर्तनों को छोड़कर, ई–वोटिंग आदि से सम्बन्धित प्रक्रियाओं, नोट्स और निर्देशों सहित उपरोक्त ईजीएम की सूचना में सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे।

ईजीएम की सूचना को शुद्धिपत्र के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए।

ईजीएम की शुद्धिपत्र की एक प्रतिलिपि कम्पनी की वेबसाइट viz www.moneyboxxfinance.com पर उपलब्ध है।

कृते मनीबौक्स फाईनेन्स लिमिटेड
हस्ता०/–
सिमान्त जूनेजा
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान : गुरूग्राम
तिथि : 01.08.2024

Form No. INC-26

[Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Before the Regional Director, Northern Region
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of **SSG FURNISHING SOLUTIONS LIMITED** having its registered office at Plot No. 112, Ground Floor, Pkt-G, Sec 1, Bawana DSIDC, Landmark Near Shivam Plaza, West Delhi - 110039

.....Petitioner

NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation for alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extraordinary general meeting of the members held on July 31, 2024 to enable the company to change its Registered Office from the "State of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver **either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form** or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:
Plot No. 112, Ground Floor, Pkt-G, Sec 1, Bawana DSIDC, Landmark Near Shivam Plaza, West Delhi - 110039

For and on behalf of the Petitioner
SSG Furnishing Solutions Limited
Sd/-
Chander Bhushan Mishra
Director
DIN - 02149467

Date: August 02, 2024
Place: New Delhi

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

पहली मंजिल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़
(तीसरी एवं चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

केस नंबर : ओए/334/2024

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम 1993 के नियम 5 के उप -नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत समन

एससएच नंबर : 22918

पंजाब नैशनल बैंक
बनाम
श्री मुरलीधर इंडस्ट्रीज कुमार

सेवा में
(1) मेसर्स श्री मुरलीधर इंडस्ट्रीज
ग्राम बपोली तहसील रादौर, जिला यमुनानगर हरियाणा अपने साझेदारों 2 से 5 के माध्यम से
{पैन नं. ADNFS1744B}
(2) श्री विजय कुमार पुत्र श्री जय भगवान
निवासी मकान नंबर 14, हरबंसपुरा, आईटीआई के पास, यमुनानगर हरियाणा - 135001।
(3) श्री राजन सोंधी पुत्र श्री तरविंदर सोंधी
निवासी मकान नंबर 52/75, थापर कॉलोनी, एमएलएन कॉलेज के पास, यमुना नगर हरियाणा - 135001।
(4) श्री मोहित साहनी, एस. सी. साहनी के पुत्र
मकान नंबर 296 आर, मॉडल टाउन, यमुना नगर हरियाणा - 135001 का निवासी।
(5) श्याम लाल गोयल पुत्र शिव प्रसाद गोयल
निवासी मकान नंबर 524-8, चोपड़ा गार्डन, यमुना नगर हरियाणा - 135001।
पर भी. श्याम लाल गोयल पुत्र शिव प्रसाद गोयल निवासी मकान नंबर 507, वार्ड नंबर 3, न्यू कॉलोनी
लाडवा, जिला कुरूक्षेत्र हरियाणा। कुरूक्षेत्र, हरियाणा
(6) प्रीति साहनी स्वर्गीय मनीष साहनी की विधवा
निवासी मकान नंबर 296 आर, मॉडल टाउन यमुना नगर हरियाणा - 135001
पर भी. प्रीति साहनी, दिवंगत मनीष साहनी की विधवा, टीएच-046, डीएलएफ न्यू टाउन हाइट्स,
बड़ा गांव के पास, सेक्टर। 86, खेड़की दौला, गुड़गांव हरियाणा - 122004। गुड़गांव, हरियाणा - 122004
(7) विजय कुमार की पत्नी सुदेश रानी
निवासी मकान नंबर 14, हरबंसपुरा, यमुनानगर हरियाणा - 135001।

सम्मन

चूंकि, ओए /334/2024 को 14.05.2024 को माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि माननीय न्यायाधिकरण ने अधिनियम की धारा 19(4) के तहत उक्त आवेदन पर ओए 9352515.41/- रूपये के ऋण की वसूली के लिए आपके खिलाफ दायर नोटिस / समन जारी किया है। (आवेदन के साथ दस्तावेजों की प्रतियां इत्यादि संलग्न)।

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार, आप, प्रतिवादियां को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :-

(i) समन की तामील के तीस दिनों के भीतर कारण बताओ कि प्रार्थना में दी गई राहत क्यों नही दी जानी चाहिए।

(ii) मूल आवेदन के क्र0 संख्या 3ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों और संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या संपत्तियों के विवरण का खुलासा करें।

(iii) आपको संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान के लंबित रहने तक, मूल आवेदन के क्रमाक 3ए के तहत ब्रकट की गई सुरक्षित संपत्ति या ऐसी अन्य संपत्तियों और संपत्तियों के निपटान या निपटान से रोका गया है।

(iv) आप बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उसके व्यवसाय के सामान्य क्रम में, किसी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं करेंगे, जिस पर सुरक्षा हिता बनाया गया है और / या अन्य संपत्ति और संपत्ति जो ट्रिब्यूनल के पूर्व अनुमोदन के बिना मूल आवेदन के क्रम संख्या 3 ए के तहत निर्दिष्ट या प्रकट की गई है।

(v) आप व्यापार के सामान्य क्रम में सुरक्षित संपत्तियों या अन्य संपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री की आय बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास रखे गए खाते में जमा करने के लिये उत्तरदायी होगें।

आपको लिखित विवरण दाखिल करने के लिए भी निर्देशित किया जाता है एवं इस लिखित विवरण की एक कापी आवेदक को भी दें देवें और 12.08.2024 को पूर्वाहन 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिती में निर्णय लिया जाएगा।

दिनांक 15.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायाधिकरण की मुहर द्वारा जारी की गई है। सम्मन जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नोट : जो लागू न हो उसे काट दें।

कार्यालय ग्रा.पं. कुतुआपुर, वि.खं. ददरौल (शाहजहांपुर)

निविदा आमंत्रण सूचना

पंजीकृत फर्मों के सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की कार्ययोजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग व SLWM व मनरेगा से ग्राम पंचायत में सीसी रोड, इण्टरलाकिंग रोड निर्माण, नाली निर्माण/ मरम्मत, हैण्डपम्प रिवोर, हैण्डपम्प मरम्मत, ह्यूम पाइप क्रय, बाल पेंटिंग, स्कूल शौचालय निर्माण/ मरम्मत, दिव्यांग शौचालय निर्माण, मरम्मत, आंगनबाड़ी निर्माण/मरम्मत, स्कूल बाउण्ड्री बाल निर्माण, पंचायत घर निर्माण, विद्यालयों का कायाकल्प, रंगाई-पुताई, CSC सेन्टर निर्माण, सोकपिट निर्माण, रैनबाटर हार्वेस्टिंग, आर.आर.सी. केन्द्र निर्माण, खाद गड्डे, हैण्डपम्प रैट्रो फिटिंग, समरसेबिल कार्य, लाइट फिटिंग तथा अन्य कार्य अनुरक्षण सहित कराये जाने हैं।

उक्त वर्णित कार्यों के लिए सामग्री क्रय हेतु ईंट, इण्टरलाकिंग ईंट, रोड़ा, सीमेन्ट, मोरंग, बजरी, सरिया, लोहा, टाइल्स, पाइपप, लोहे के एंगिल बाटर, टिन चादर, टोंटी, प्र